

(भारत के राजपत्र के भाग-I खंड-I मंत्रिकाशनाथ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय

आधिसूचना

उपयोग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2018

**विषय: पत्राधान एवं जटिलयत्र जयात हकदार (कोटा) नीतय के अवशाट ढावधान के ढचालन को 1 जनवर 2019 से आगे बढ़ाया जाना ।**

सं. 1/61/2004-जयात-I (1) - सरकार ढवारा पत्राधान एवं जटिलयत्र जयात हकदार (कोटा) नीत के अवशाट ढावधान के ढचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 क आधिसूचना सं.1/61/2004-जयात-I के तहत ढारंभ म 1 जनवर 2005 से एक वष के लए लागू करने का जणथ लया गया था तथा उह समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन ढावधान को 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतदवारा पत्राधान एवं जटिलयत्र जयात हकदार (कोटा) नीत के अवशाट ढावधान के ढचालन को 1 जनवर 2019 से एक और वष के लए बढ़ाने का जणथ लया है।

3. दिनांक 9 नवंबर 2004 क आधिसूचना के पैरा 1 म उल्लिखत अय सभी जबंधन एवं शत अपवतत रहणी।

(आर.के.संह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23062341

ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा म

बंधक,

भारत सरकार मुणालय,

फरदाबाद, हरयाणा

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 मंत्रालय का शिर्षक)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय

आधिसूचना

उपयोग भवन, नई दिल्ली  
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2018

**विषय: यान्त्रिक फैब्रिक और मेड-अपस जयान्त हकदार (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के  
प्रचालन को 1 जनवरी 2019 से आगे बढ़ाया जाना ।**

सं. 1/61/2004-जयान्त-1 (2) - सरकार द्वारा यान्त्रिक फैब्रिक और मेड-अपस जयान्त हकदार (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 का आधिसूचना सं.1/61/2004-जयान्त-1 के तहत प्रारंभ मई 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा उपरोक्त समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया गया है।

2. सरकार ने एतद्वारा यान्त्रिक फैब्रिक और मेड-अपस जयान्त हकदार (कोटा) नीति के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2019 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. दिनांक 9 नवंबर 2004 का आधिसूचना के पैरा 1 में उल्लिखित आय सभी निर्बंधन एवं शतक अप्रवृत्त रहेंगी।

(आर.के.सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23062341

ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा में

प्रबंधक,  
भारत सरकार मंत्रालय,  
फरिदाबाद, हरियाणा